(पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: ccpmgsysrinagar@rediffmail.com
ccpmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 200 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/वनभूमि, दिनांक 21 /02/2026

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015)

संदर्भः– आपके कार्यालय पत्रांक 1291/12–1 देहरादून, दिनांक 02–01–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015) के संदर्भ में प्रस्तावक विभाग (इस खण्ड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढवाल (नाम से) के नाम पत्र जारी करते हुये प्रेषित सूचना को शीघ्र संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांकः 1111/पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि, दिनांक 19–09–2025 के द्वारा अनुपालन आख्या, कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी गढवाल को प्रेषित कर दी गयी है (संलग्नक–01 (04 पृष्ठ))। तदोपरान्त आपके संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 37/पी0एम0जी0 एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/वनभूमि, दिनांक 13–01–2026 के द्वारा भी आख्या की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु पंजीकृत डाक से पुनः प्रेषित की गयी है (संलग्नक–2 (02 पृष्ठ))। परन्तु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक 4354/12–1, दिनांक पौड़ी, माह, फरवरी/13/2026 के द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित सूचना में इस खण्ड द्वारा प्रेषित आख्या को सम्मिलित नही किया गया है (संलग्नकः–3 (01 पृष्ठ))।

अतः उपरोक्त विषयक इस खण्ड से सम्बन्धित अनुपालन आख्या की छायाप्रतियां संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

पत्रांकः– /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/पी0ए0/तदिनांक। (पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

desktop/sandip/pa ltr

Scanned with CamScanner

(पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक:– /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०श्री० –1/वनभूमि, दिनांक 21/02/2026

सेवा मे,

नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015)**

संदर्भ:– आपके कार्यालय पत्रांक 1291/12–1 देहरादून, दिनांक 02–01–2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015) के संदर्भ में प्रस्तावक विभाग (इस खण्ड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढ़वाल (नाम से) के नाम पत्र जारी करते हुये प्रेषित सूचना को शीघ्र संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांकः 1111/पी०एम० जी०एस०वाई० सिं०ख० श्रीनगर–1/वनभूमि, दिनांक 19–09–2025 के द्वारा अनुपालन आख्या, कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौडी गढवाल को प्रेषित कर दी गयी है **(संलग्नक–01 (04 पृष्ठ))**। तदोपरान्त आपके संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 37/पी०एम०जी० एस०वाई०सिं०ख०श्री०–1/वनभूमि, दिनांक 13–01–2026 के द्वारा भी आख्या की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु पंजीकृत डाक से पुनः प्रेषित की गयी है **(संलग्नक–2 (02 पृष्ठ))**। परन्तु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक 4354/12–1, दिनांक पौड़ी, माह, फरवरी/13/2026 के द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित सूचना में इस खण्ड द्वारा प्रेषित आख्या को सम्मिलित नही किया गया है **(संलग्नकः–3 (01 पृष्ठ)**।

अतः उपरोक्त विषयक इस खण्ड से सम्बन्धित अनुपालन आख्या की छायाप्रतियां संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

पत्रांकः– २०० /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०श्री०–1/पी०ए०/तदिनांक। (पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

desktop/sandip/pa ltr

Scanned with CamScanner

(पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

दिनांक: 21/02/2026

पत्रांक:– 200 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/वनभूमि,

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015)**

संदर्भ:– आपके कार्यालय पत्रांक 1291/12–1 देहरादून, दिनांक 02–01–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015) के संदर्भ में प्रस्तावक विभाग (इस खण्ड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी गढवाल (नाम से) के नाम पत्र जारी करते हुये प्रेषित सूचना को शीघ्र संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक: 1111/पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि, दिनांक 19–09–2025 के द्वारा अनुपालन आख्या, कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग, पौड़ी गढवाल को पेषित कर दी गयी है **(संलग्नक–01 (04 पृष्ठ))**। तदोपरान्त आपके संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 37/पी0एम0जी0 एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/वनभूमि, दिनांक 13–01–2026 के द्वारा भी आख्या की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु पंजीकृत डाक से पुनः प्रेषित की गयी है **(संलग्नक–2 (02 पृष्ठ))**। परन्तु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक 4354/12–1, दिनांक पौड़ी, माह, फरवरी/13/2026 के द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित सूचना में इस खण्ड द्वारा प्रेषित आख्या को सम्मिलित नही किया गया है **(संलग्नक:–3 (01 पृष्ठ))**।

अतः उपरोक्त विषयक इस खण्ड से सम्बन्धित अनुपालन आख्या की छायाप्रतियां संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

पत्रांक:– 200 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/पी0ए0/तदिनांक। (पंजीकृत डाक से/ई–मेल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 07 नं0 छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

desktop/sandip/pa ltr

Scanned with CamScanner

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–गढ़वाल।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक : 1111 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1 / वनभूमि / दिनांक 19/09/2025।
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/10931/2015)।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), 25–सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 84 / 2018 / FC / 1022 / दिनांक 21–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग पर प्राप्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0–89 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1 / वनभूमि / दिनांक 29–04–2022 के द्वारा प्रेषित की गई जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 23–09–2022 को अपलोड की गई। प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है जिनकी अनुपालन आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	State Government is requested to submit the CA scheme of Rs. 17,90,141/-based on which the amount has been deposited in CAMPA.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से सम्बन्धित है।
2	State Government is requested to submit the Khatauni.	खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3	State Government is requested to upload the complete compliance at para 21 in part II of the proposal.	Compliance Report पोर्टल पर अपलोड कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4	It was observed that there is some deviation from the approved alignment. The Site Inspection Report of the concerned DFO is required to be submitted in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से मार्ग पर हुऐ deviation के सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पुनः विचार करने हेतु आग्रह किया गया है कि **चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/ 10931/2015** को भारत सरकार से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त है (सैद्वान्तिक स्वीकृति संलग्न–1), जिसके पश्चात कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0–सिं0ख0, श्रीनगर द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकतओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए मार्ग के स्वीकृति समरेखण पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना वनविभाग को देते हुए वन विभाग के कर्मियों द्वारा समय–समय पर मोटर मार्ग पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता रहा है एवं मार्ग स्वीकृत समरेखण पर होने की पुष्टि भी स्थल पर उपस्थित होकर दी गयी।

क्रमशः ...2..

Scanned with CamScanner

		मार्ग की लम्बाई 14.275 कि0मी0 स्वीकृत थी तथा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष दिसम्बर 2018–19 को प्रारम्भ किया गया, जिसमें कार्यदायी संस्था के अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य से वनविभाग की देख रेख, निर्देशों एवं पूर्ण सहयोग से सही निर्धारित समरेखण अनुसार ही किया जाता रहा है, दिये गये निर्देशों के अनुसार मार्ग निमाण का कार्य माह जून 2020 को पूर्ण करा लिया गया था। महोदय अवगत कराना है कि **मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में होने पर दिनांक 24.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान स्थल से कही भी आने–जाने के लिये अनुमति नहीं थी एवं यातायात प्रतिबंधित हो गया था,** यातायात प्रतिबंधित होने से निर्माण स्थल पर उपस्थित ठेकेदार की अकुशल श्रमिक एवं ऑपरेटर कार्यस्थल पर ही रह गये तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव की सीमा के भीतर, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबन्ध का उल्लघन करने से स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीणों द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाने लगी, **जिसके फलस्वरूप किसी बाहरी व्यक्ति (ना ही कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को एवं ना ही वन विभाग के कर्मचारियों को) गांव के क्षेत्र की सीमा के भीतर आने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी।** **दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 20.05.2020 कोविड काल की मध्य अवधि में निर्माण कार्य हेतु क्षेत्र में मात्र उपलब्ध लेबर, ऑपरेटरों को निर्माण कार्य कर रहे थे ।** पूर्व में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सही समरेखण में हो रहा था कोविड अवधि में ग्रामवासियों द्वारा ऑपरेटर को अपनें हित में कराकर मार्ग का निर्माण कार्य अपने निजी भूमि को बचाते हुए करने हेतु दबाव बनाया गया तथा ऑपरेटर को समरेखण का ज्ञान न होने के कारण एवं आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन न होने के कारण पहाड़ कटान का कार्य किया गया, चूंकि **वन विभाग द्वारा रिर्जव फॉरेस्ट की सीमा का स्पष्ट सीमांकन/Demarkation उपलब्ध ना होने से वन विभाग की रिर्जव वन भूमि का पता करना ऑपरेटर द्वारा सम्भव नहीं था,** एवं ग्रामीणों के दबाव से आपॅरेटर द्वारा आरक्षित भूमि में **बिना किसी वृक्षों को प्रभावित करते हुये त्रुटिवश निर्माण कार्य 7.00 मी0 चौड़ाई में कर दिया गया,** जिसका संज्ञान वन विभाग द्वारा तीन वर्षो के उपरान्त दिनांक 02.04.2024 लेते हुए कार्यदायी संस्था को सूचित किया गया।

क्रमशः ...3..

Scanned with CamScanner

महोदय उक्त प्रभावित क्षेत्र में आरक्षित वन की सीमा का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध ना होना एवं वन विभाग के कर्मचारी द्वारा नियमित रुप से कोविड काल वर्ष, 2020 में सीमाकंन का अवलोकन न कर पाने से ठेकेदार के ऑपरेटर द्वारा ग्रामीणों के दबाव कोविड काल अवधि–2020 में उक्त कार्य किया गया, जो कि एक मानवीय भूल की घटना, ज्ञान का अभाव एवं ग्रामीणों के दबाव के कारण घटित हुआ है।

महोदय आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन एवं कोविड काल में विभागीय कर्मचारी/अधिकारी उपलब्धता सम्भव ना होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कार्यस्थल में कार्यरत ऑपरेटर से उक्त कार्य को करवाया गया, जिसकी जांचोपरान्त वन विभाग द्वारा दिनांक 02–04–2024 को प्राथमिकी दर्ज कर ठेकेदार एवं कनिष्ठ अभियंता को दी गई तथा कार्यदायी संस्था को वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल के पत्रांक–652/12–1, दिनांक 05.05.2025 को कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–दे0दून के माध्यम से प्राप्त हुआ। तदनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को उक्त कृत्य करने पर पत्र लिखा गया।

यह भी सूचनीय है कि ग्रामीणों द्वारा आपरेटर को मार्ग निर्मित को ही पूर्व में उनकी सहमति से हुऐ सर्वे को निर्मित भूमि से समरेखण हेतु आस्वस्थ किसा गया । कोविड काल में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का कार्यस्थ्ल पर उपस्थित न होने के कारण आरक्षित वनभूति में 403 मी में मार्ग निर्माण की सूचना दिनांक 13/01/2024 को प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक सं0 2307/12–1 दिनांक पौड़ी माह जनवरी 06, 2024 से प्राप्त हुई संलग्न इससे पूर्व वन विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि में मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गई है ।

महोदय उक्त प्रकरण पर ग्रामीणों के दबाव में आकर ऑपरेटर द्वारा कोविड काल में आरक्षित वन पर मार्ग निर्माण की सूचना अनुसार लगभग 403 मी0 रिर्जव फोरेस्ट में मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है, जिसमें अवगत कराना है कि मार्ग की वर्तमान स्थिति अनुसार सड़क का आरक्षित वनभूमि में निर्माण लगभग 7.00 मी0 चौड़ाई में हुआ है, जिसका **कुल प्रभावित क्षेत्रफल 0.2821 है0, जो स्वीकृति वन भूमि क्षेत्रफल 2.92 है0 के अन्तर्गत ही है। यथा स्वीकृत वन भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 0.0856 है0 भूमि कम प्रभावित हुई है तथा वृक्षों का शून्य पातन हुआ है ।**

क्रमशः ...4..

Scanned with CamScanner

		जिसके कम में कार्यदायी संस्था का विन्रम निवेदन के साथ अपना पक्ष सभी तत्वों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आपसे अनुरोध है कि **कोविड काल की वास्तविक कारणों एवं वन विभाग की सीमा का सीमांकन उपलब्ध ना होने तथा ग्रामीणों के दबाव के कारणों का संज्ञान लेते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा हैं।**

कार्य/प्रात

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

पत्रांक 1111 /पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/तदिंनाक

1. प्रतिलिपि अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्य/प्रात

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

पंजीकृत डाक से

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

प्रधानमंत्रीग्राम सड़क योजना

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांकः– 37 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/वनभूमि, दिनांक: 13/01/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015)

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 111/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि, दिनांक 19–09–2025 एवं कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1291/12–1 देहरादून दिनांक 02–01–2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो का अवलोकन का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10931/2015) हेतु भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 21–12–2022 के द्वारा चाही गयी सूचना संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। जिसके क्रम में कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिनगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी उक्त प्रस्ताव पर आपके कार्यालय द्वारा संस्तुति चाही गयी है।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक 111/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि, दिनांक 19–09–2025 की छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ पुनः प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 04 नं0 छायाप्रति।

Babita
ह0/ अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
o/c श्रीनगर–1 गढवाल।

पत्रांकः– 37 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/पी0ए0/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिनगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 04 नं0 छायाप्रति।

Babita
ह0/ अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
o/c श्रीनगर–1 गढवाल।

desktop/sandip/pa ltr

Scanned with CamScanner

कार्यालय–नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1291 /12-1 :देहरादून:दिनांक 02 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, (नाम से)
पौड़ी गढ़वाल।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

विषय :– जनपद–पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10931/2015)

सन्दर्भ :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर, गढ़वाल के पत्रांक 1111/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि दिनांक 10.09.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो कि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठाकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 21.10.2022 के द्वारा चाही गयी सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित सूचना को शीघ्र अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना, प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या 1291 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर, गढ़वाल।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:- dfo_pauri_uta@yahoo.co.in, Fax no:-01368-222215

पत्रांक:– 1125 / 12–1 : दिनांक: पौड़ी, माह, फरवरी, 12 2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0– (FP/UK/ROAD/10931/2015)

सन्दर्भ– आपके कार्यालय की पत्रावली संख्या– 1291/12–1, दिनॉक 02.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/84/2018/एफ0सी0/1022, दिनॉक 21–10–2022 से 04 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी जिसकी आख्या प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1) ने अपनी पत्र सं0 888, दिनॉक 17.11.2022 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई **(संलग्नक–1)**। उक्त के कम में आख्या इस कार्यालय की पत्र सं0 750/12–1, दिनॉक 22.08.2024 से वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई थी **(संलग्नक–2)**, तथा कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी द्वारा उक्त 04 बिन्दुओं की आख्या अपनी पत्र सं0 575/12–1, दिनॉक 24.09.2024 से आपके कार्यालय को प्रेषित की गई है। **(संलग्नक–3)**।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करना है कि आपके कार्यालय की पत्र सं0 2565/12–1, दिनॉक 19.04.2025 से प्रकरण के सापेक्ष दिनांक 15.04.2025 को भारत सरकार द्वारा (FRCM) बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी आख्या इस कार्यालय की पत्र सं0 5432/12–1, दिनॉक 19.06.2025 से वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई थी **(संलग्नक–4)**। वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी ने अपनी पत्र सं0 2542/12–1, दिनॉक 26.06.2025 से उक्त FRCM बैठक की आख्या आपको प्रेषित की गई है **(संलग्नक–5)**।

अतः उक्तानुसार सूचना/आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी।

पत्रांक: / ,दिनॉकित।

प्रतिलिपि:– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उनकी पत्र सं0 1806/12–1, दिनॉक 29.01.2026 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: / ,दिनॉकित।

प्रतिलिपि:– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1 को सूचनार्थ प्रेषित।

(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Scanned with CamScanner